जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(मु.)/अ.अ.(आर.ए.–सी.)/फा /प्रे. 870 दि. 04.10.17

आदेश

विषयः– वी.सी.आर. प्रकरणों की सुनवाई के सम्बन्ध में।

अध्यक्ष डिस्कॉम्स द्वारा जारी स्थायी आदेश संख्या 17/11–सी दिनांक 31.07.2017 के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता द्वारा जाँच प्रतिवेदन के राजस्व निर्धारण से सहमत नही होने पर राजस्व निर्धारण राशि को उपभोक्ता के बिल में जुड़ने से 90 दिन तक वी.सी.आर. मॉनिटरिंग एवं रिव्यू समिति में सुनवाई हेतु स्वीकार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त दिनांक 30.06.2016 से पूर्व की लम्बित वी.सी.आर. का निस्तारण आदेश क्रमांक वाणिज्य/जोधपुर डिस्कॉम–802 दिनांक 31.07.2017 के प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है।

उक्त आदेशों के क्रम में निम्न स्पष्टीकरण जारी किये जाते हैः–

1. दिनांक 30.06.2016 से पूर्व के लम्बित सतर्कता जाँच प्रतिवेदनों जिनका राजस्व निर्धारण कर राशि उपभोक्ता के खातों में डेबिट करके वसूल की जा चुकी है, परन्तु कम्पाउण्डिंग राशि वसूल नहीं की गई है, और ना ही एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है, ऐसे प्रकरणों को निस्तारित समझा जावें।
2. दिनांक 30.06.2016 से पूर्व की लम्बित सतर्कता जाँच प्रतिवेदनों के जिन मामलों में उपभोक्ताओं के खातों में राजस्व निर्धारण राशि डेबिट कर दी गई है, परन्तु अभी तक वसूल नहीं हुई है, उन प्रकरणों को भी वाणिज्य/जोधपुर डिस्कॉम–802 के प्रावधानों के अनुसार राशि अथवा जमा राशि, जो भी अधिक है, लेकर निस्तारित कर दिया जावें।
3. दिनांक 30.06.2016 के बाद की लम्बित सतर्कता जाँच प्रतिवेदन जिनके राजस्व निर्धारण को बिलों में जुड़े हुये 90 दिन से अधिक समय व्यतीत हो चुका है, परन्तु उपभोक्ताओं ने राशि जमा नही कराई है, उन्हे भी 31.10.2017 तक वी.सी.आर. मॉनिटरिंग एवं रिव्यू समिति में लिया जाकर आदेश संख्या 6 दिनांक 08.04.2015 एवं स्थायी ओदश संख्या 17/11–सी के प्रावधानों के अनुसार निस्तारित किया जा सकता है।
4. जिन मामलों में न्यायालय में चालान पेश हो चुका है अथवा उपभोक्ता ने न्यायालय में वाद दायर कर रखा है, ऐसे मामलों का उपरोक्त प्रावधानों के तहत् निस्तारण नहीं किया जावेगा।

सभी सम्बन्धित अधिकारी उपर्युक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से

(यू.एस. चौहान)
अधीक्षण अभियंता (आर ए एंड सी)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर